बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 7365
ग्रा०वि०-4-विविध-59/06

दिनांक 26/7/06

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- अनाम एवं छद्मनाम परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि इधर ऐसे कई दृष्टान्त प्रकाश में आए हैं जिनमें परिवाद पत्रों की जाँच के उपरान्त परिवादी द्वारा परिवादों का समर्थन नहीं किये जाने अथवा उनके द्वारा आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण अधिकांश परिवाद-पत्र निराधार एवं औचित्यहीन साबित हो जाते हैं । इस प्रकार के छद्मनामी और अनाम परिवाद पत्रों की जाँच के फलाफल से स्पष्ट है कि ऐसे परिवाद पत्र राज्यकर्मियों के चरित्र हनन एवं मिथ्यारोपण का कुत्सित प्रयास है जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी कार्यक्षमता एवं सेवा भावना पर पड़ता है । साथ ही, ऐसी निरर्थक जाँच में सरकार की शक्ति एवं साधनों का भी अपव्यय होता है ।

छद्मनामी एवं साक्ष्यविहीन परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पत्रांक-2608 दिनांक-09.07.76, 16514 दिनांक-05.12.80 एवं 13830 दिनांक-14.12.89 एवं मुख्य सचिव के आदेश पत्रांक-945 दि०-24.06.05 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा आदेश भी निर्गत किए गए हैं । किन्तु, इस संदर्भ में इन पत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

उपर्युक्त पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के संदर्भ में अनुरोध है कि हस्ताक्षरित अथवा अनाम एवं छद्मनामी परिवाद-पत्र चाहे वे कितने ही विशिष्ट एवं परिलक्षणीय क्यों न हों, पर जाँच करने के पूर्व परिवादी का सत्यापन कर उनकी शिकायतों के सन्दर्भ में उनसे प्रति शपथ पत्र प्राप्त कर आश्वस्त हो लिया जाय कि परिवाद-पत्र में वर्णित बिन्दुओं की उन्हें व्यक्तिगत जानकारी है और वे उन बिन्दुओं से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देने के लिए तैयार है । यदि परिवादी उपर्युक्त सूचनाएं देने में अक्षम हों तब वैसी स्थिति में उनके परिवाद-पत्र पर कोई जाँच न कर एतद् संबंधी सूचना इस विभाग को दी जाय । साथ ही साथ इस विभाग से जो भी परिवाद-पत्र जाँच हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजे गए हैं, उनपर उक्त निदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

कृपया उपर्युक्त निर्देश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
25/7/06
(अनूप मुखर्जी)
आयुक्त एवं सचिव

D.M.12

(क) कृपकस्य पत्नी सुकथा कीदृशी आसीत् ?